उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग–2
संख्या–979/V-2/2018–124(आ0)/2010
देहरादून: दिनांक 12 ~~अगस्त,~~ सितम्बर 2018

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1985) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2006 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–508/V/आ0–02–2011–326(सा0)/2004 दिनांक 17–3–2011 द्वारा प्राधिकरणों में कार्यरत् कमांक–1 से 14 तक अवर अभियंताओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची प्रख्यापित की गयी है। उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयत सेवा नियमावली 1985) संशोधन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत प्राधिकरणों में तैनात शेष अवर अभियंताओं की अंतिम ज्येष्ठता सूची कार्यालय ज्ञाप संख्या–513/V-2/आ0–326(सा0)/2004 दिनांक 12–4–2014 द्वारा निर्धारित की गयी।

2– कालान्तर में कार्यालय ज्ञाप संख्या–78/V-2/आ0–2014–20(आ0)/02 दिनांक 26–5–2014 द्वारा मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27–11–2013 के निर्णय के अनुपालन में श्री जितेन्द्र प्रसाद डबराल को दिनांक 06–4–2002 से विनियमित किए जाने की स्वीकृति प्रदान किए जाने के फलस्वरूप कार्यालय ज्ञाप संख्या–1867/V-2/आ0–326(सा0)/2004 दिनांक 05–11–2015 द्वारा निर्गत अवर अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची में कमांक–15 पर उल्लिखित अवर अभियंता श्री रमेश चन्द्र जोशी एवं कमांक–16 पर उल्लिखित अवर अभियंता श्री अतुल कुमार गुप्ता के मध्य में श्री जितेन्द्र प्रसाद डबराल को कमांक–15(a) के रूप में सम्मिलित करते हुए अवर अभियंताओं की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची निर्धारित करते हुए समस्त प्राधिकरणों के माध्यम से सम्बन्धित कार्मिकों से 10 दिन के भीतर सुसंगत प्रमाणों सहित आपत्तियां आमंत्रित की गयी थी। तत्कम में श्री रमेश चन्द्र जोशी, अवर अभियंता, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण का प्रत्यावेदन दिनांक 02.12.2015 सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त हुआ है। जिसमें उनके द्वारा वर्ष–1986 एवं वर्ष–1987 में नियुक्त कार्मिकों से पूर्व वरिष्ठता सूची में अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा सचिव, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण हरिद्वार के माध्यम से उनका प्रत्यावेदन दिनांक 31.05.2018 प्राप्त हुआ है। जिसमें उनके द्वारा पूर्व प्रत्यावेदन दिनांक 02.12.2015 सहित पूर्व प्रेषित अनुरोध पत्रों पर न्यायोचित निर्णय लेते हुए उनकी वरिष्ठता का निर्धारण उचित स्थान पर करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में सूच्य है कि श्री रमेश चन्द्र जोशी का प्रत्यावेदन दिनांक 25.09.2017, जो उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के पत्र दिनांक 27.10.2017 के माध्यम से प्राप्त हुआ है, का निस्तारण कार्यालय ज्ञाप संख्या–1783/V–2 – 2017 –124 (आ0)/2010 दिनांक 30.10.2017 द्वारा किया गया है।

चूंकि श्री रमेश चन्द्र जोशी द्वारा वरिष्ठता हेतु मांग की जा रही तिथि को वे नियमित सेवा में नहीं थे। अतः जिस तिथि को वे नियमित सेवा में नहीं थे, उस तिथि से उन्हें वरिष्ठता का लाभ दिये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। श्री रमेश चन्द्र जोशी अवर अभियंता को उनकी नियमित की तिथि के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या–1867/ V–2/आ0–326 (सा0)/2004 दिनांक 05.11.2015 द्वारा जारी ज्येष्ठता सूची में कमाक–15 पर ज्येष्ठता कमाक निर्धारित किया गया है। तदानुसार उनके प्रत्यावेदनों का निस्तारण हो जाता है। श्री जोशी के अलावा अन्य किसी कार्मिक का निर्धारित समय तक कोई आपत्ति प्राप्त न होने के कारण पुनः अवसर देते हुए शासन के पत्र संख्या–473/V-2/2018–124(आ0)/2010 दिनांक 01–05–2018 एवं तदविषयक पत्र संख्या–814/V-2/2018–124(आ0)/2010 दिनांक 21–05–2018 द्वारा आपत्तियां आमंत्रित की गयी। लगभग डेढ माह से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी आतिथि तक शासन को इस सम्बन्ध में सम्बन्धितों से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

2— सम्प्रति कार्यालय ज्ञाप संख्या—1867/V-2/आ0—326(सा0)/2004 दिनांक 05—11—2015 द्वारा निर्गत अनन्तिम वरिष्ठता सूची में श्री जितेन्द्र प्रसाद डबराल को कम संख्या—15 एवं 16 के मध्य कमांक—15(a) रखते हुए उक्तानुसार आपत्तियां मांगी गयी थी। इस सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र जोशी, अवर अभियंता के अतिरिक्त कोई आपत्ति शासन को प्राप्त नहीं हुई है। अतएव सम्यक विचारोपरांत कार्यालय ज्ञाप संख्या—513/V-2/आ0—326(सा0)/2004 दिनांक 12—4—2014 द्वारा निर्गत अवर अभियंता (सिविल) की अंतिम वरिष्ठता सूची में कम संख्या—15 एवं 16 के मध्य 15(a) पर श्री जितेन्द्र प्रसाद डबराल, अवर अभियंता की ज्येष्ठता निम्नवत् स्थापित की जाती है —

क0	नाम	पदनाम	जन्मतिथि	अवर अभियंता के पद पर नियुक्ति/प्रौन्नति की तिथि	अवर अभियंता के पद पर विनियमितीकरण की तिथि
1	2	3	4	5	6
15	श्री रमेश चन्द्र जोशी	अवर अभियंता	03—5—1964	12—12—1985	14—2—2013
15(a)	श्री जितेन्द्र प्रसाद डबराल	अवर अभियंता	04—7—1959	15—07—1989	06—04—2002
16	श्री अतुल कुमार गुप्ता	अवर अभियंता	01—7—1966	22—9—1989	14—2—2013

3— उपरोक्तानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या—513/V-2/आ0—326(सा0)/2004 दिनांक 12—4—2014 प्रख्यापित अवर अभियंताओं की ज्येष्ठता सूची को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या—979/V-2—2018—124(आ0)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित की अपने अधीनस्थ समस्त अवर अभियंताओं को तदनुसार सूचित करना चाहें।

1— मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2— उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
3— उपाध्यक्ष, हरिद्वार—रूड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
4— उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
5— सचिव, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, देहरादून।
6— समस्त सम्बन्धित अवर अभियता द्वारा सम्बन्धित प्राधिकरण।
7— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह)
संयुक्त सचिव